

## कार्यालय अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड,लोक निर्माण विभाग नैनीताल।



🖀 :05942 -235079, 233764 Fax,235079, Email: eecdnainitalpwd@rediffmail.com

पत्रांक:-सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, इंदिरानगर फारेस्ट कालोनी,

देहरादून।

विषय:-

जनपद नैनीताल में कूल- चौपला ग्राम डोल तक मोटर मार्ग I(FP/UK /ROAD/

8278/2014)

संदर्भः-

आपका पत्रांक EDS दिनांक 23.11.2016

महोदय,

उपरोक्त 'विषयक संदर्भित पत्र द्वारा विषयक प्रकरण में लगायी गयी आपत्तियों पर बिन्दुवार आख्या आन लाईन कर आपको निम्न प्रकार प्रेषित की जा रही है।

कंस0	14 3	उत्तरालेख			
1	The digitized toposheet has not been uploaded in serial C-iii	डिजिटल टोपोसीट मैप में जी०पी०ए० रिडिंग अंकित कर ऑन लाइन फार्म-ए के पार्ट-1 में क्रम संठ C-iii में पुन अपलोड कर दिया गया है।			
2	Serial no. a. 1-iii does not contain brief narrative.				
8	Please upload complete FRA documents along with annexure mentioned in the certificate at serial K of form A.	ऑन लाईन फार्म-ए के पार्ट-1 में क्रम सं0 k(a) में मय संलग्नकों के साथ क्रमशः प्रमाण पत्र संलग्न कर दिया गया है।			


4	Please upload land schedule with name of reserve forest and compartment.	प्रस्ताव में एडिसनल इनफोरमेशन डिटेल के क्रम सं0 19 में संलग्न पृष्ठ में आरक्षित वन अंकित कर पुनः अपलोड कर दिया गया है।
5	Muck disposal plan does not show calculation and legal status of muck damping.	मलुवा निस्तारण हेतु प्रस्ताव में एडिसनल इनफोरमेशन डिटेल के क्रम सं० 31 में पृष्ठ सं० 41—48 संलग्न आगणन के अनुसार मार्ग निर्माण से 24375 घन मीटर निकलने वाले मलुवे में से 24060 घन मीटर मलुवे का समायोजन भिन्न—भिन्न मदों में किया जायेगा, तथा अवशेष 315 घन मीटर मलुवे का समायोजन मार्ग के वनभूमि हस्तान्तण प्रस्ताव 9 मीटर चौड़ाई में गठित किया गया है, जबिक मार्ग में पहाड़ कटान का कार्य 7 मीटर चौड़ाई में किया जायेगा। अवशेष 2 मीटर चौड़ाई वाले भाग में कर लिया जायेगा। अवशेष 2 मीटर चौड़ाई वाले भाग में कर लिया जायेगा, जो प्रस्ताव में एडिसनल इनफोरमेशन डिटेल के क्रम सं० 31 के पृष्ठ सं० 49—50 में संलग्न गूगल मानचित्र में मलुवा समायोजन स्थान को पॉलीगोन से दर्शाया गया है।

अतः आपसे अनुरोध है कि उक्त प्रकरण में अपने स्तर से आवश्यक कार्यवाही करने की कृपा

पत्रांक:-

करें।

- 2821 / 18M9 दिनांक:- 65-12-16 प्रतिलिपि अधीक्षण अभियन्ता, द्वितीय वृत्त, लोक निर्माण विभाग, नैनीताल को सूचनार्थ प्रेषित।



## Main Attachment -1.6

परियोजना का नाम जनपद नैनीताल में एस०सी०एस०पी० के अन्तर्गत दरमोली से पिठौली मोटर मार्ग का निर्माण।

#### FORM-I

(for projects other than linear projects) Government of Uttarakhand Office of the District Collector nainital

No---

Dated - 2109 015

## To WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

In complinance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No 11-9/98-FC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Rocognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEFs letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issused certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that 1.19 hectares of forest land proposed to be diverted in favour of EXECUTIVE ENGINEER, CONSTRUCTION DIVISION, P.W.D NAINITAL (name of user agency) for CNSTRUCTION OF DARMOLI PITHOLI MOTAR ROAD (purpose for diversion of forest land) in NAINITAL district falls within jurisdiction of DARMOLI AND PITHOLI village (s) in NAINITAL tehsils. It is further certified that:

(a) the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 1.19 hectares of forest land proposed for diversion. A copy of records of all consulations and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram Sabha(s) sub- Division laevel Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure 1 to 5 annexure 5 (b)

the diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama

Sabhas have given their consent to it;

the proposal does not involvel reggnised rights of primitive tribal groups and pre-agricultural communities.

Eucl: As above.

(c)

Signature

(Full name and official seal of the District Collector) नेन ताल

ति प्रमाणित

नि0 ख0, लो०नि०वि0, नैनीताल

Main Attachment -1.6

परियोजना का नाम— जनपद नैनीताल में एस०सी०एस०पी० के अन्तर्गत दरमोली से पिढौली मोटर मार्ग का निर्माण।

#### FORM-II

(for projects other than linear projects) Government of Uttarakhan Office of the District Collector nainital

No---

Dated-28/09/015

To WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

In complinance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No 11-9/98-FC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Rocognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes, it is certified that 1.19 hectares of forest land proposed to be diverted in favour of EXECUTIVE ENGINEER, CONSTRUCTION DIVISION, P.W.D NAINITAL (name of user agency) for CNSTRUCTION OF DARMOLI PITHOLI MOTAR ROAD (purpose for diversion of forest land) in NAINITAL district falls within jurisdiction of DARMOLI AND PITHOLI village (s) in NAINITAL tehsils. It is further certified that:

(d) the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 1.19 hectares of forest land proposed for diversion. A copy of records of all consulations and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram Sabha(s) sub- Division laevel Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure 1 to 5 annexure 5 (e)

the proposal for such diversion (with full details of project and its implications, in vernacular/ local language) have been placed before each concered Grama Sabha of forest-dwellers, who are eligible under the FRA;

(f) the each of concerned Gram Sabha (s), has certified that all formalities/processes under the FRA have been carried out, and that they have given their consent to the proposed diversion and the compensation and ameliorative measures, if any, having understood the purpose and details of proposed diversion, a copy of certificate issued by the garm sabha of darmoli & pitholi villages(s) is enclosed as annexure 4 to 5 annexure 2

(g)the discussion and decisions on such proposals had taken pace only when there was a quorum of minimum 50% of the members of Gram Sabha

(h) the diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it;

(i) the rights of Primitve Tribal Groups and Pre-Agricultural communites, where applicable have been specifically safeguarded as per section 3 (1)(e) of the FRA

Eucl: As above.

छाया प्रति प्रमाणित ें खंद कां विचित्र विवास

Signature (Full name and official seal of the District Collector) परियोजना का नामः— जनपद नैनीताल में एस०सी०एस०पी० के अन्तर्गत दरमोली से पिठौली मोटर मार्ग का निर्माण।

# OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER DISTRICT NAINITAL (U.K.)

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA). 2006.

A meeting of the district level committee of NAINITAL district, constituted under FRA. 2006 was held under the chairmanship of Mr.DEEPAK RAWAT, I.A.S deputy commissioner, NAINITAL on dated of the commissioner, NAINITAL on dated of the committee of application claiming rights in NAINITAL /area measuring 1.19 hect for the construction of DARMOLI PITHOLI MOTAR ROAD forest land under FRA. 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub divition level committee of NAINITAL sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

Place; Namital.
Dated: 98-59-2015

DeputyCommissioner-cum-Chairman District Level Committe

छाया प्रति प्रमाणित सहायक प्रभियन्ता नि० ७०,लो**०नि**०वि०,नैनीताल

### कार्यालय उप जिलाधिकारी, भेरपास्त्री अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण-पत्र उपखण्ड स्तरीय समिति, न्देशस्त्रास्त्री

उपखण्ड सम्बद्धः परिक्षेत्र के अन्तर्गत द्वा (र्वा - है) आरक्षित वन भूमि का निर्देश लाजने विकास निर्देश विवास के प्रकार के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनूसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील ने तत्त्र) की दिनांक निविधित को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण:-

अनुसूचित जनजाति आर अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं
निथम २००८ के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठकः श्री सिवनास रेनेरी-, उप जिलाधिकारी
एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।
1- श्री <u>Shiv enazum</u> उपजिलाधिकारी <u>Novim Ear</u> अध्यक्ष 2- श्री <u>जिल्ला के जुल</u> उप प्रभागीय वनाधिकारी सदस्य सदस्य सहिव 3- श्री <u>अध्यक्ष</u> — सहायक समाज कत्याण अधिकारी सदस्य (सविव 4- श्री <u>अध्यक्ष</u> — बीठडीठसीठ क्षेत्र <u>जिल्ला का जुल</u> सदस्य (सविव
उपखण्ड राचिव द्वारा माननीय सदस्यों का वैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमित से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कर ए प्रयो कि
द्रभाली - पिटीली सार यार परियोजना निर्माण हेतु
पर्योक्ता एजेन्हें के 181 में उस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के रूमक्ष राष्ट्र। गर्या राम सभा के
अन्तरीत वनाधिकार का कोई मामला लिखत नहीं है। उक्त सिम का संबंधित ग्राम सभा द्वारा पूर्वप्रसाति है
पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेत् प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।
संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, — द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्पागत वन
निवासी (वन आधकारी की मान्यता) अर्धिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पंप्ट करते हुए
जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दारेदार व
दावा / आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा / पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा
चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।
वैठक में सर्वसम्मित से उपखण्ड -सम्मिद्ध परिक्षेत्र के अन्तर्गत -परियोजना के निर्माण हेतुहैं। वन भूमि लेकिन वि
चेत्राविता एजन्सा का जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावित्त किये जाने पर सहमति व्यक्त
की गुमी।

वन किताने (न्) प्रभाग, नेनीताज्ञ.

उप जिलाधिकारी / अक्ष्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति जनपद निर्मास

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी,

.....को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप जिलाधिकारी / अध्यक्ष उपखण्ड स्त्रीय वन अधिकार संगिति तहसील-..

लाया प्रति प्रभाणित प्रमियन्ता नि। ख0, लो**ंनि**)वि०, नैनीताल वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम निचारिक तहसील चेन ता जिला जनताल

अनापत्ति प्रमाण पत्र

---परियोजना के निर्माण हेत् मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत जिल्ला क्या गया। गंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु िस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य है अथवा नहीं। \* उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेत् आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियां के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

ू चूर्चा के उपरान्त्र ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया / प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम कि हो एक दूर के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि कि एक लावनिविक से प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

100 ग्राम प्रकार द्वाम सचिव प्राम् प्राथा स्टिन्स् हित

विवस्त - समाह श्रेमीहार

EN GETTER GENT पद्धी गहना ने तिवाले

Manita. गाय प्रवास स्थान सरपंच मुहर सहितषट्टी गहमा नेन ाल-विकास खार गर्माह सिला वेनीताल

> छाया प्रति प्रमाणित ाहायक अमियन्ता िक अंग्रे, लो**ंनिंवे**विंग, नैनीताल

# दिनांक विकास की ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

# ग्राम पंचायत ... ( )

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के	हस्ताक्षर
	्र नाम	\\ \( \)
	17/1/C G05/9/	19715-4001
	1. 9.4	
	Eglarcies or 18 / Mayor	
	8/4 3mc 25 1. 9875	OSE TO THE REAL PROPERTY OF THE PERTY OF THE
	Uart ornk	partners.
	5 = CO   M	- Churchen
		(F50)[6]
	イ1新りてはま	नामश्चीचंट्य
	SIAN ZEO	001
	67310/20 -010-80	sardace heno
	24-15th - 15th	- Water - NE
	100 Janos	a salla
	da10 317.	and Alain
	Landella.	6,013
	MARI Selver	Montin
		n emy ca
	स्मिन कुमार	Steen
	- 241941 N	Med
(e-	de la company	
	3,210,5 00,180	(4)(215(Eugh
	211/181 -213	4 Smilt
120		

्रहायक प्रिष्यियन्ता कि अउ,लोवनिवविव,नैनीताल ह0/- अविकास ग्राम्प्रधानेतावत पिटान्य विकास गराइ राज्यात

लेका नेती

परियोजना का नाम:--

एस०सी०एस०पी० के अन्तर्गत दरमोली—पिठोली मोटर मार्ग का निर्माण (लम्बाई 2.00 कि०मी०)

लैण्ड शैड्यूल (वन विभाग) आरक्षित वन भूमि

- 1 de 1 de 1					
जिला	प्रभाग का नाम	वन ब्लाक	लम्बाई	चौड़ाई	क्षेत्रफल (हैं0)
नैनीताल		X	/(		
=					
-					
*					

वन क्षेत्राधिकारी
वन क्षेत्राधिकारी
वन क्षेत्राधिकारी

परियोजना का नाम -एस.सी.एस.पी. के अन्तर्गत जिला नैनीताल में दरमोली -पिठोली मोटर मार्ग का निर्माण। (लम्बाई 2.00 कि0मी०)।

लैण्ड शैड्यूल सिविल एवं सोयम, वन पंचायत एवं नाप भूमि का लैण्ड शैडय्ल के लिये (राजस्व विभाग) / जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र

जिला	तहसील	ब्लाक	खसरा सं0	कुल रकवा (है0)	याचित क्षेत्रफल (है0)
नैनीताल	नैनीताल	ग्राम दरमोली		1 (- )	1
		वन पंचायत	3317	1.838	0.042
			3318	0.576	0.175
			3320		0.210
		ग्राम पिठोली			
-		वन पंचायत	694	23.229	0.253
			648	7.549	0.497
			योग		1-183
The state of the s		ग्राम दरमोली		***	
-		सिविल सोयम	3317 / 2325		0.007
The second secon			योग		0.00
		नाप भूमि			
		ग्राम पिठोली			0.210
			योग		0.210
			कुल योग		1.400

स्पतित्वक्षयम् ५ नुनास्यक्ष नेवाली